worker during 1977 which was investigated into by the NCCF and a warning was issued both to the Asstt. Manager and lady co-worker.

वृद्धों को पेंशन और शिक्षित युवकों आदि को बेरोजगारी भत्ते का दिया जाना

2221. डा० अबरार अहमद खान : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन देने, शिक्षित युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने और प्रत्येक युवक को काम का मौलिक अधिकार देने के लिए कोई नया कानून बनाने और संविधान में संशोधन करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो कब तक ;

(ख) वृद्ध व्यक्तियों और शिक्षित युवकों को क्रमशः कितनी पेंशन और बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा और इस प्रकार की पेंशन और बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए पात्र वृद्ध व्यक्तियों और शिक्षित युवकों की संख्या कितनी है; और

(ग) देश के युवकों को काम का मौलिक अधिकार कब तक दे दिये जाने की सम्भावना है और उपर्युक्त अधिकार से कितने युवकों के लाभान्वित होने की आशा है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) वृद्धावस्था पेंशन राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार का विषय है । ये पेंशनें सामान्यतः निराश्रितों, वृद्धों तथा असहाय विधवाओं को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी निधियों में से दी जाती हैं । ये पेंशनें राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए पेंशन नियमों तथा विनियमों द्वारा निर्धारित होती हैं । इस समय वृद्धावस्था पेंशन पर कोई केन्द्रीय कानून अपेक्षित नहीं है ।

(ग) सरकार प्रत्येक नागरिक को काम का अधिकार देने के लिए वचनबद्ध है तथा काम के अधिकार को संविधान में मूल अधिकार बनाने के लिए एक विधेयक लाने का प्रस्ताव करती है । अतिरिक्त ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं ।

खानों में दुर्घटनाएं

2222. डा० अबरार अहमद खान : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में किन-किन खानों में दुर्घटनायें हुई और इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए और इसके लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार थे और क्या दोषी अधिकारियों को किसी प्रकार का दंड दिया गया ;

(ख) क्या इन खानों में अब भी काय चल रहा है ;

(ग) मृतक व्यक्तियों के परिवारों को कितनी अनुग्रह राशि उपलब्ध कराई गई, और क्या उन व्यक्तियों के परिवार में से किसी को नौकरी उपलब्ध कराई गई है और क्या इन खानों में दुर्घटना घटने से पूर्व कोई तकनीकी जानकारी उपलब्ध थी, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) देश में उन खानों की संख्या तथा नाम क्या हैं जो कि तकनीकी दृष्टि से बन्द हो जानी चाहिए थीं परन्तु इनमें अब भी कार्य चल रहा है और इसके क्या कारण हैं और ये खाने कब तक बंद कर दी जायेंगी ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।